संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि० में कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों को दूर संचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है। चूंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं अतः उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों को लागू वेतन और भत्ते दिये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने, एम टी एन एल द्वारा सेवित क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रबंध के लिए अति उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1990 में अत्रेय समिति के नाम से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने अप्रैल, 1991 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

Repairs and Compensatory Relief for Telephone Complaints

707. SHRI RAMSINGH RATHWA:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI SOM PAL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under latest rules phone repairs would be done within 24 hours after the complaint is lodged;

(b) whether it is also applicable to Metropolitan or Districts and Rural areas;

(c) whether any compensatory relief would be provided to consumers, if they fail to get timely repairs;

(d) whether it is a fact that application for shifting of telephone take undue long time in disposal and implementation;

(e) whether any training is given or being considered for Posts and Telegraph staff for cord-less telephone repairing; and

(f) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. Efforts are made to clear all the telephones faults within 24 hours unless any major repair is involved.

(b) Yes, Sir.

(c) Rebate in rental for telephone faults is permitted when the service remains interrupted continuously for seven days or more due to departmental reasons.

(d) No. Sir. Shifting of telephone is carried out as early as possible subject to technical feasibility and observation of departmental formalites.

(e) Since the Department has not supplied cordless telephones to subscribers, no need is felt to train the staff at present.

(f) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिय दूरसंचार सुविधाएं

707. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त शेष सभी स्थानों दूरसंचार की सुविधाओं से पूर्णतः वंचित हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन मुख्य जनजातीय क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में जिला मुख्यालयों के अलावा अन्य बहुत से स्थानों पर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनजातीय क्षेत्र किन्नौर लाहुल और स्पीती जिलों और चम्बा जिले के भरमौर और पांगी क्षेत्र में 9 तहसील और 1 उप तहसील हैं और उन सभी के मुख्यालयों में तारघर हैं।